मजदूर-किसान संघर्ष रैली

lh-vkbl-Vh-;l-&,-vkbl-d-, l-&,-vkbl-,-MCY;l-;l-

5 flrEcj 2018

lln d le{k

lkolt kfud {k= d cdk dh j{kk djk! turk d ilk dh j{kk djk!

आज के दौर में आम मजदूर, कर्मचारी, किसान और खास कर मेहनतकश, अपनी आमदनी में से जो भी थोड़ी बहुत बचत करते हैं, उसे बैंकों, खास तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ही रखते हैं। अपने भविष्य के खर्चों जैसे कि शिक्षा, शादी–ब्याह, आवास, स्वास्थ्य, बुढ़ापा आदि के लिए जो भी संभव हो बचत करते हैं। चूंकि वे किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा या उनकी बुनियादी जरुरतों के लिए सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्हे अपनी इसी बचत पर निर्भर होना पड़ता है। 31 मार्च 2018 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमा 82.65 लाख करोड़ रुपऐ का 85% इन्ही आम लोगों की बचत के रूप में जमा था। आम जनता सट्टा लाभ अर्जित करने के लिए शेयर बाजार में नहीं जाती है। आम लोगों को अभी इन्ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर ही भरोसा है कि उनकी कड़ी मेहनत से कमाया धन वहीं सुरक्षित है।

lkoltfud {k= d cd gh tekdrkvk d ilI dh j{kk djr g

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वर्षों में इस भरोसे को अर्जित किया है, क्योंकि 19 जुलाई 1969 को बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पहले चरण के बाद बैंक विफलता की कोई घटना नहीं हुई है। हमारे देश के जमाकर्ताओं में से केवल 1–2% ही शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश करते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जमाकर्ताओं के पैसे की गारंटी देते हैं। असल में, निजी क्षेत्र के बैंक ही बड़े पैमाने पर फेल हुए थे और जनता के पैसे की रक्षा करने की आवश्यकता के मद्देनजर बैंकों को राष्ट्रीयकृत करने का सरकार ने निर्णय लिया। 1935 से 1947 के दौरान हमारे देश के 900 निजी बैंक फेल हुए। इसके बाद 1969 में बैंक राष्ट्रीयकरण की तारीख तक आजादी के बाद से 665 निजी बैंक फेल हुए। इन सभी घटनाओं में, आम जमाकर्ता ही थे जो इन असफल बैंकों में जमा अपनी पूरी बचत से हाथ धो बैंठे। वे ही बुरी तरह पीड़ित हुए थे। इसके अलावा, इन सभी बैंकों में कार्यरत लोगों ने अपनी नौकरियाँ खो दीं।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमारे देश के बैंकिंग परिदृश्य में गुणात्मक परिवर्तन लाया। 1969 में प्रथम चरण में 14 प्रमुख बैंकों और 1980 में दूसरे चरण 6 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद, जो निजी बैंक दबाव में आए और विभिन्न कारणों से चलने की स्थिति में नहीं थे, उन्हें एक या दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा अधिग्रहीत कर लिया गया। इस प्रकार, जमाकर्ताओं का पैसा पूरी तरह से संरक्षित रहा। उन निजी बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों में से किसी ने भी अपनी नौकरी नहीं खोयी।

futhdj.k dh xfrfof/k;k

नवउदारवादी व्यवस्था के आगमन के साथ इस प्रक्रिया को उलटने की मांग की गई। केंद्र में लगातार एक के बाद दूसरी सरकारों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को विनिवेश करके वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण को आरम्भ किया। मार्च 2017 तक, 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में औसतन सरकारी हिस्सेदारी 100% से घटकर 71.29% रह गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहयोगी बैंकों के विलय के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 21 रह गयी है।

केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को खत्म करने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। एक तरफ, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमा जनता के पैसे को विजय माल्या, निरव मोदी आदि जैसे जानबूझकर कॉरपोरेट बकाऐदारों द्वारा लूटने की इजाजत दे रही है, तो दूसरी ओर वह आम जमाकर्ताओं को बैंकिंग सेवाओं के दायरे से बाहर निकालने के उपायों को अपना रही है।

सार्वजनिक पैसे की लूट

बैंकों के शीर्ष अधिकारियों के एक हिस्से के अपवित्र गठबंधन ने, जिसमें कॉरपोरेट बिजनेस हाउस और भ्रष्ट राजनेताओं के साथ निजी बैंक शामिल हैं, बैंकिंग उद्योग को खतरे में डाल दिया है। मुख्य रूप से बड़े कॉरपोरेटस् पर बकाया ऋणों का एक बड़ा संग्रह है। जिसे सुसंस्कृत भाषा में गैर निष्पादन संपत्ति (एनपीए) कहा जाता है। 31 मार्च 2018 तक, आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऐसे बकाया कर्जे या एनपीए रु० 8,95,204 करोड़ तक पहुँच गए हैं। 108379 करोड़ रुपये की राशि को अभी तक बट्टेखाते में डाला जा चुका था। मौजूदा मोदीनीत भाजपा सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बैलेंस शीट को साफ सुथरा करने के लिए एक तंत्र तैयार किया है। इन्सोल्वेनसी एण्ड बैंक्रप्सी कोड (आईबीसी 2016) के तहत बुरा ऋण खातों को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के माध्यम से बकाया राशि के 75% से अधिक पर समझौता करके तीसरे पक्ष के बोलीदाताओं को बेचा जाएगा। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बकाया राशि का 75% या उससे अधिक को भूल जाने के लिए सहमत होना होगा। इसे 'हेयरकट' के तौर पर फैंसी नाम दिया गया है। इस प्रकार लोगों के पैसे को ठगा जा रहा है। साथ ही साथ कॉरपोरेट बकाएदार और बैंक बोर्ड के सदस्य जिनकी मिलीभगत रही है, का बचाव किया जा रहा है। हालांकि, यहाँ तक कि इस भारी भरकम राशि का एक अंश मात्र भी गरीब किसानों के वास्ते नहीं बढ़ाया गया है। भाजपानीत मोदी सरकार ऋण छूट की मांग को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जनता के पैसे और सार्वजनिक संसाधनों को देशी–विदेशी बड़े कॉरपोरेटस् को सौंप देना, नवउदारवादी नीतियों का एक अभिन्न अंग है, जिसके प्रति भाजपा सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है।

जमा पर ब्याज दर में कटौती और जनता पर मार

भाजपा सरकार ने बैंकों में जमा पर ब्याज दर को कम करने और न्यूनतम बकाया मानदंडों को बनाए रखने के लिए दंड शुल्क थोपने और जीएसटी लगाने के कदमों को उठाया है। अप्रैल 2014 में, मोदीनीत मौजूदा भाजपा सरकार के सत्ता में आने से ठीक पहले, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सावधि जमा पर भुगतान की गई उच्चतम दर 9% प्रतिवर्ष थी। पिछले चार वर्षों की अवधि के दौरान इसे 6% प्रतिवर्ष पर लाया गया है। ब्याज की आय पर जीवित परिवारों की दुर्दशा को बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है।

छोटे जमाकर्ताओं को बैंकों से बाहर निकालना

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने और बैंकिंग नेटवर्क में जनता के बड़े हिस्से को जोड़ने में सराहनीय भूमिका निभाई है। इसके बावजूद, आजादी के सत्तर वर्षों के बाद भी, लगभग 41.5% भारतीय परिवारों को अभी तक भी बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाना बाकी है। हमारे देश के कुल 6.5 लाख गांवों में से केवल 17% में ही आज वाणिज्यिक बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाऐं हैं। भाजपा सरकार 'जन धन योजना' को समावेशी बैंकिंग की उपलब्धि के रूप में दिखाती है। हालांकि 13 जून 2018 तक 31.80 करोड़ जन धन योजना खाते खोले गए हैं, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। इनमें से अधिकतर खातों में पैसा ही नहीं है।

अप्रैल 2017 में, छह वर्षों के अंतराल के बाद, देश के सबसे बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक खातों में मासिक औसत न्यूनतम शेषराशि को नहीं बनाए रखने के लिए शुल्क दोबारा शुरू किया। यह विडंबना ही

है कि एसबीआई ने अप्रैल और सितंबर 2017 के बीच इस तरह के उपायों के द्वारा, अपने शुद्ध लाभ 3586 करोड़ रुपये में से करीब आधा 1771 करोड़ रुपये कमाए। इन शुल्कों को वापस लेने के लिए भारी जन आलोचना की वजह से बैंकों को इन दरों में कुछ बदलाव करना पड़ा। लेकिन औसत मासिक न्यूनतम शेष राशि को बनाए रखने के लिए जमाकर्ताओं को चार्ज करना सभी सार्वजनिक बैंकों वैसा ही बना हुआ है।

fdlkuksa us —f"k _.k ls badkj

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के मुताबिक, शुद्ध बैंक ऋण का 40% प्राथमिकता क्षेत्र में जाना चाहिए, जिसमें अन्य के साथ–साथ कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, शिक्षा, आवास, सामाजिक आधारभूत संरचना आदि शामिल हैं। इनमें से 18% अनिवार्य रूप से कृषि में जाना चाहिए। लेकिन तस्वीर निराशाजनक है। मार्च 2018 तक बैंकों द्वारा दिए गए कृषि ऋण का राष्ट्रीय औसत कुल बैंक ऋण का केवल 12% ही है। सरकार ने कृषि ऋण की परिभाषा भी बदल दी है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण कंपनियों को स्वीकृत ऋण प्रति उधारकर्ता को 100 करोड़ रुपये की सीमा तक को भी कृषि ऋण के रूप में माना जाएगा। इस परिवर्तन के साथ, कृषि ऋण का एक बड़ा हिस्सा कॉरपोरेटस् की सेवा के लिए बदल दिया गया है, जबकि किसानों, विशेष रूप से गरीब किसानों को बैंक ऋण से वंचित कर दिया गया है। यह आखिरकार उन्हें भारी ब्याज बसूलने वाले सूदखोरों के हवाले करने के लिए किया गया है। कृषि के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऋण के बीच भेद के पहले के प्रावधान को निपटा दिया गया है। इन सभी कदमों ने ग्रामीण संकट में योगदान दिया है जिसे हम आज देख रहे हैं। पिछले दो दशकों में 3 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है, उनमें से अधिकतर, ऋण चुकाने में असमर्थता और परिणाम स्वरुप अपमान का सामना करने में असमर्थ हैं।

lkoZtfud cSadksa ds ykHk dks eDdkj cdk,nkj [kk jgs gSa

भारी मात्रा में संचित घाटों की आड़ लेकर सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। यह सरकारी षड़्यंत्र के अलावा कुछ भी नहीं है। 14 अगस्त 2015 को मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए रोड मैप का विवरण देने वाले 'इंद्रधनुष' नामक एक दस्तावेज प्रकाशित किया। इसके तहत की गयी सिफारिशों में से एक यह है कि बैंकों को एनपीए के खिलाफ अपनी बैलेंस शीट में और ज्यादा प्रावधान करने चाहिए। प्रावधान की इस उच्च दर के कारण, भारी परिचालन लाभ अर्जित करने के बाद भी, सभी सार्वजनिक बैंकों को मिलाकर, 2015–16 के बाद से शुद्ध घाटे में दिखाया गया है। 31 मार्च 2018 तक सार्वजनिक बैंकों ने 1,55,586 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ अर्जित किया था, लेकिन इस वजह से उन्हें 89,369 करोड़ रुपये के शुद्ध घाटे के में दिखाया गया है। यूनाइटेड फॉरम ऑफ बैंक यूनियन्स के बैनर के तहत बैंक कर्मचारियों के आंदोलन ने मांग की है कि जानबूझकर कर्ज अदायगी न करने वालों को दोषी अपराधियों के तौर पर माना जाए और सरकार को उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। लेकिन, भाजपा सरकार अपने लिए लाभकारी और दानदाताओं के हितों को चोट पहुंचाने को तैयार नहीं है। कार्यवाही करने के बजाय उसने उन्हे 'गैर सहयोगी उधारकर्ता' का नया नाम दिया है! यही वह रवैया है जिसने विजय माल्या और नीरव मोदी को बैंक को धोखा देने, देश से भागने और विदेश में आराम से रहने के लिए प्रोत्साहित किया।

ukVcUnh vkSj fMftVkbts'ku

आम जनता, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और गरीब किसानों की कीमत पर बड़े व्यापारिक कॉरपोरेट–भूस्वामी लॉबी को लाभ पहुंचाने के लिए नोटबन्दी एक कदम था। काले धन का पता लगाने, नकली मुद्रा को खत्म करने, आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने और भ्रष्टाचार को कम करने के घोषित

उद्देश्यों में से कोई भी हासिल नहीं हुआ, जबकि लाखों मजदूरों ने अपनी नौकरियाँ खो दीं, लाखों किसानों ने अपनी आमदनी खो दी। यह वास्तव में, काले धन वाली बड़ी व्यापारिक कॉरपोरेट लॉबी और भू–स्वामियों के बचाव के हित में था। नोटबन्दी के बाद, सरकार ने जनता को डिजिटल लेनदेन और नकद लेनदेन को कम करने के लिए मजबूर किया था। फिर इसने नकदी बिना लेनदेन और फिर कम नकदी लेनदेन के लिए कहा है। नकद निकासी/लेनदेन पर कई प्रतिबंध/शर्तें/शुल्क भी थोपे हैं। जबकि आम जनता को हर डिजिटल लेनदेन के लिए, लेनदेन की लागत और सेवा शुल्क देने के लिए मजबूर किया, जो उन पर अतिरिक्त बोझ ही है, इस प्रकार डिजिटल लेनदेन प्लेटफार्म जो ज्यादातर विदेशी हैं, ने भारी मुनाफे कमाऐ है। यह नवउदारवाद की क्रूरता ही है कि जो जनता अपने अस्तित्व के लिए, दैनिक जीवन में जो भी लेन–देन करती है, की परिस्थिति को व्यापारिक लाभ बनाने के साधनों में बदला जा रहा है जबकि वास्तविक आर्थिक क्षेत्रों उत्पादन एवं व्यापार में हालत निराशाजनक है। जब हमारे 40% से अधिक परिवार बैंकिंग सेवाओं द्वारा कवर नहीं हैं, तो डिजिटल लेनदेन को मजबूर करना, बड़ी संख्या में जनता को, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों से, सामान्य आर्थिक प्रक्रिया से बाहर करने के तरीके के अलावा कुछ नहीं है।

आम जनता द्वारा झेली गयी असुविधा के अलावा, नोटबन्दी के दौरान 100 से अधिक निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई। उनमें से 11 बैंक कर्मचारी थे जो काम का दबाव बर्दाश्त करने में असमर्थ थे।

,QvkjMhvkbl fo/k;d% cdk dk ^tekur*(NkV tekdrk >kd HkkM e

मेदीनीम भाजपा सरकार के फाइनेनसियल रिजोल्यूशन एण्ड डिपोजिट इन्श्योरेन्स (एफआरडीआई) विधेयक ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आम जनता के विश्वास को हिलाकर रख दिया है। यह संकट की स्थिति में असफल बैंकों को, जमाकर्ताओं के पैसे से 'जमानत' देना चाहता है। यदि यह लागू किया गया है, तो सरकार एक रिजोल्यूशन कॉरपोरेशन (आरसी) तैयार करेगी। सभी बैंक, बीमा कंपनियाँ और अन्य वित्तीय संस्थान इस कॉरपोरेशन के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे। रिजोल्यूशन कॉरपोरेशन (आरसी) यह तय कर सकेगा कि कोई वित्तीय संस्थान संकट का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में इसे संबंधित वित्तीय संस्थान को निर्देशित करने का अधिकार दिया जाता है कि वह जनता द्वारा जमा किए गए धन के पूरे या हिस्से का भुगतान न करें और या स्थगित कर दे। वह कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर सकता है, या किसी भी या सभी कर्मचारियों के वेतन को कम कर सकता है। यह जमा पर ब्याज दर और उनके चुकाने की समय अवधि बदल सकता है। यह नकद के बदले शेयर या बॉन्ड पेश कर सकता है; यह जमा राशि के संबंध में जमाकर्ताओं को देयता को पूरी तरह से या आंशिक रूप से अस्वीकार कर सकता है। इस रिजोल्यूशन कॉरपोरेशन के किसी भी फैसला किसी भी कानून की अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा। इस प्रकार आम जनता ने सरकार पर अत्यधिक विश्वास करके बैंकों में अपनी कड़ी मेहनत की कमायी जमा की है, को रिजोल्यूशन कॉरपोरेशन के फैसलों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने पर कोई सहारा या राहत नहीं मिलेगी। कॉरपोरेटस् की भारी बकाएदारी के कारण अगर बैंक विफल हो जाते हैं, तो उसके कारण आम जनता ही सबसे अधिक पीड़ित होगी।

lkoltfud cdk dk cnuke vkj u"V dju dk ç;kl

नवउदारवादी व्यवस्था के तहत, प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देना बहुत कम किया गया है; साथ ही साथ भारी जोखिम के साथ बड़े कॉरपोरेटस् को बढ़ाया गया है। जो अंततः एनपीए में बदल जाते हैं और बैंकों के मुनाफे को खा जाते हैं। बाद में इसे सार्वजनिक क्षेत्र की अंतर्निहित अक्षमता के रूप में प्रचारित किया जाता है, बदले में जिसे निजीकरण की मांग करने के लिए एक बहाना के रूप में उपयोग किया जाता है।

नवउदारवादी व्यवस्था के तहत, सरकारें ग्रामीण बैंकों, विशेष रूप से किसानों की सेवा कर रहे ग्रामीण बैंकों सहित सार्वजनिक बैंकों का निजीकरण करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जनता के समर्थन के साथ बैंक कर्मचारियों के मजबूत प्रतिरोध ने अब तक इन प्रयासों को विफल कर दिया है। इस तरह के प्रयासों के खिलाफ पिछले 26 वर्षों के दौरान बैंक कर्मचारियों ने देश भर में 56 बार हड़तालें की हैं। वे अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की रक्षा अकेले बैंक कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है। यह उन सभी की जिम्मेदारी है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमा अपनी बचतों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। यह आम जनता, मजदूरों और किसानों की भी जिम्मेदारी है।

5 सितंबर 2018 को 'मजदूर–किसान संघर्ष रैली' सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा करने के लिए है, जो नवउदारवादी व्यवस्था के हमलों के शिकार हैं। यह बैंकों में हमारी बचत की रक्षा करने के लिए है।

एकजुट हों! संघर्ष करो!

- 0.01 प्रतिशत के लिए काम करने वाली सरकार नहीं
- 99.9 प्रतिशत के फासदे की नीतियों के लिए